उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

...23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व परकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को किसी भी रूप में अन्तरित, भारग्रस्त नहीं करे, प्रार्थी के काश्त कार्य

में बाधा कारित न करे, प्रार्थी को कब्जात बेदखल नहीं करे। इस हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म की जावे। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20-7-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20.7.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)